राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का बाईसवां दिवस संख्या 16

मंगलवार,
28 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 1100 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में धरना जारी)

श्री अध्यक्षः श्री रामनारायण मीणा। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चल सकता। जिस तरह से प्रतिपक्ष के लोगों ने अराजकता का माहौल बना रखा है, इस सदन की पूरी मर्यादा ...(व्यवधान)...

तारांकित प्रश्नोत्तर

नरेगा कार्यक्रम की प्रभावी क्रियान्विती हेतु कार्य योजना

279. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (1) क्या यह सही है कि प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनेकों शिकायतें मिल रही हैं, जिनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाने से योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता हो रही है? यदि हां, तो इस पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है?

(2) प्रदेश में उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन में क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं तथा सही क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण मय जारी आदेशों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शिकायतों के मुख्य कारण निम्न हैं:-

- पारदर्शिता का अभाव
- भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के प्रकरणों में योजना के आरम्भ होने के वर्ष 2006-07 में त्वरित गति से कड़ी कार्यवाही न होना।
- योजना के आरम्भ से ही प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण का अभाव रहा है।
- पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव।

योजना में प्राप्त शिकायतों की त्वरित जानकारी/निस्तारण हेतु कई उपाय किये गए हैं :-

- वरिष्ठ अधिकारियों जैसे- जिला प्रभारी सचिव, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि के द्वारा निरीक्षण हेतु मापदण्ड का निर्धारण एवं उनकी समीक्षा।
- नरेगा हैल्प लाइन नम्बर 1077 (टोल फ्री) का शुभारम्भ।
- जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय पर शिकायत/सुझाव पेटी की स्थापना।
- शिकायत की त्वरित गति एवं निष्पक्षता से जांच हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों को राज्य स्तरीय 53 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना।
- सामग्री की क्रय प्रक्रिया में सुधार।
- स्टाफ की कमी ने भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावित किया है, इस समस्या के निदान हेतु 11315 नये नियमित कार्मिकों के नियोजन का निर्णय किया गया है।
- तकनीकी कार्यों के तखमीनें समय पर बने व मांग के अनुसार बने इस हेतु अतिरिक्त तकनीकी अभियन्ताओं को जोड़ा जा रहा है।
- वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से आन्तरिक लेखा दलों का गठन किया जा रहा है व कम्प्यूटर दक्ष लेखा सहायकों को ग्राम पंचायत में लगाया जा रहा है।

(2) समय पर 5-5 के समूह में श्रमिकों का नियोजन, माप एवं भुगतान का नहीं होना। वित्तीय अनियमितता, फर्जी जॉब कार्ड, कार्यों का पूर्ण नहीं होना आदि। इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं। मुख्य-मुख्य आदेशों की प्रति परिशिष्ट 1 से 4 पर संलग्न है। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। ...(व्यवधान)... बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। ...(व्यवधान)... बिल्कुल नहीं बोलना ...(व्यवधान)... हम समझ ही नहीं रहे।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, यह तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)... जिन लोगों ने सत्तर सत्तर +++ है, जिनके हाथ +++ आज वह नाटक कर रहे हैं इस सदन के अन्दर आकर के ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया सुनें। ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को पश्चाताप करना चाहिए। यह लोग +++ हैं गुर्जरों के जिन्होंने राजस्थान में गुर्जरों के ऊपर इक्कीस बार पुलिस फायरिंग की, आज यह अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए बैठे हैं ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, 157, 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव रख रहा हूं ...(व्यवधान)... विशेषाधिकार हनन की सूचना देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, निवेदन है सदन का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तीन चार दिन से भारी व्यवधान के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय सदस्य अपनी जन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सारे सदस्य ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कराओ एक्स रे, एक्स रे कराओ। कोई बहाना नहीं चलेगा ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायकों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वह कल ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हमारी महिला विधायकों के साथ जिस बर्बरता के साथ कल व्यवहार हुआ है ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): जो अधिकारी ...(व्यवधान)... जिनका उनके खिलाफ कोई ...(व्यवधान)... आपने बताया है कि पाँच के समूह ...(व्यवधान)... श्रमिकों को काम देना चाहते हैं ...(व्यवधान)... जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत तीन चार दिन से भारी व्यवधान के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के सदस्य अपनी जन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ...(व्यवधान)... सरकार के गृह मंत्री ...(व्यवधान)... और व्यवधान कर रहे हैं। श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ...(व्यवधान)... शायद इस सरकार को ...(व्यवधान)... बजट से संबंधित अनुदान की मांगें बिना चर्चा के पारित कर दी गयीं ...(व्यवधान)... कृपया माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रक्रिया के नियम 157,158 के तहत ...(व्यवधान)... घनश्याम तिवाड़ी, गुलाबचन्द

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

जी कटारिया, राजेन्द्र राठौड़, कालीचरण सराफ सदस्यों के विरूद्ध ...(व्यवधान)... और इस सदन में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना देता हूं ...(व्यवधान)...

उक्त विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें ...(व्यवधान)...

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पखवाड़ा कार्य ...(व्यवधान)... रोजगार ...(व्यवधान)... कार्य कर रहे श्रमिकों की अलग सूची ...(व्यवधान)... अधिकारी के कार्यकाल में तीन दिवस में ग्राम रोजगार ...(व्यवधान)... ग्राम सेवक द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दी ...(व्यवधान)... अधिकारी के निर्णय के अनुसार भुगतान प्राप्त करें ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर पूरा सदन आपकी व्यवस्था चाहता है, आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हमने दिया है अभी भी वह उसी तरह का कृत्य कर रहे हैं, पूरा सदन देख रहा है, पिछले तीन दिनों से इन्होंने माहौल खराब कर रखा है ...(व्यवधान)... रोकना चाहते हैं तो हम इनको नहीं बोलने देंगे ...(व्यवधान)... हम तो इनको सुनना नहीं चाहते। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): स्टाफ भी इस कार्य के लिए लगाया जा सकता है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ...(व्यवधान)...

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पंचायतों पर एक कनिष्ठ अभियन्ता लगाने का मापदण्ड निर्धारित है,...(व्यवधान)... देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्री अध्यक्ष: क्या करूं ...(व्यवधान)... क्या करूं ...(व्यवधान)... क्या करूं। अंकित नहीं हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.08 बजे 12.08 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

श्याम/चौहान 28.07.2009 12.00 1g

पुन: समवेत होने पर

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(समय : 12.08 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खडे होकर के शोर-शराबा)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, 158 के तहत इन तीनों सदस्यों को सदन से बाहर निकाला जाये। इन्होंने सदन की गरिमा का अपमान किया है, हमारे विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर हम व्यवस्था चाहते हैं। आप व्यवस्था देकर के इन तीनों को बाहर निकलवायें जिन्होंने सदन को अपमान किया है। 157, 158 के तहत घनश्याम जी तिवाड़ी, गुलाब चन्द जी कटारिया, राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ हमारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया हुआ है। उस प्रस्ताव के तहत आप इन तीनों सदस्यों को बाहर निकलवायें। यह सदन की गरिमा का सवाल है। आप इन सबको एक वर्ष के लिए निष्कासित कीजिये। हमारा अनुरोध है कि पिछले तीन दिन से सदन की कार्यवाही इन्होंने रोक रखी है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

जिन लोगों ने सदन की कार्यवाही रोकी है, हमारा आपसे अनुरोध है कि इन तीनों सदस्यों को आप बाहर निकलवायें ...(व्यवधान)... हमारा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है ...(व्यवधान)... हम आपसे अनुरोध करेंगे ...(व्यवधान)... घनश्याम जी तिवाड़ी, राजेन्द्र राठौड़ और गुलाब चन्द जी कटारिया को सदन से बाहर निकालें ...(व्यवधान)... इन लोगों ने तीन दिन से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

jyg/usc/28.7.9/12.10/1h

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अशोक पींचा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के 13 जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण वितरण का कार्य बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा 15 जून, 2009 से बन्द कर देने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

2. श्री बनवारी लाल सिंघल एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से जैन धर्म के अनुयायियों के पर्यूषण पर्व पर कत्लखानों को बन्द रखने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी प्रमुख प्रस्तावक

माननीय सदस्य श्री अशोक पींचा एवं श्री बनवारीलाल सिंघल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

1. श्री किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षकों के लिए ए आई सी टी ई वेतनमान एवं कैरियर एडवान्समेंट स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में।

2. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के जनाना अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के सम्बन्ध में।

3. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के बी सी ए एवं बी बी ए संकाय के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

4. श्री महेन्द्र चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में खनिज विभाग के ठेकेदारों द्वारा बजरी रॉयल्टी में की जा रही अनियमित वसूली के सम्बन्ध में।

5. श्री कैलाश चन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जावर एवं कालीखाड़ पेयजल योजनाओं में कतिपय गांवों को और शामिल करने के सम्बन्ध में।

6. डॉ. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से जिला स्तरीय बाजार दर निर्धारण (डी एल सी) समिति की बैठक में उप पंजीयक, बीकानेर व उप महानिरीक्षक, बीकानेर के द्वारा गलत सूचना देकर भूमि दर का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

7. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नागदी बाँध की नहरों को पक्का करने एवं नागदी नदी के जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

8. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खैरथल कस्बे को जिला मुख्यालय अलवर से सीधा सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से गांव अढ़ावली, तहसील डीग की आराजी खसरा नम्बर 40 गैर मुमकिन सिवाय चक पहाड़ी भूमि पर बलदेववास गांव के लोगों द्वारा कब्जा कर लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के नगर पालिका एवं 20 गांवों में जंगली गायों एवं सूअरों द्वारा खेती को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर द्वारा निर्मित कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चाकसू के विद्युत संकट को दूर करने के लिए कतिपय गांवों में 33 के वी ए सब स्टेशन चाकसू करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अशोक पींचा, श्री अशोक पींचा। श्री बनवारीलाल सिंघल, श्री बनवारीलाल सिंघल।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले मुद्दों पर व्यवस्था

आज दिनांक 28 जुलाई, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 5 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई।

1.श्री हबीबुर्रहमान, अल्पसंख्यक समसुदाय के प्रति सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री अमराराम, राजस्थान विश्वविद्यालय में एम बी ए की परीक्षाओं में फेल होने के बावजूद भी नियम विरुद्ध प्रवेश देने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री शाले मोहम्मद, विधान सभा क्षेत्र पोकरण में प्रसिद्ध देवस्थान रामदेवरा की ...(व्यवधान)... परिक्रमा क्षेत्र घोषित करवाने एवं बाबा रामदेव मंदिर परिसर स्थित राम सरोवर को विकसित करवाने के सम्बन्ध में।

4. श्री पेमाराम, धोद विधान सभा क्षेत्र में बने नलकूप, पाइप के अभाव में जनता के काम में नहीं आने एवं सीकर जिले में निर्मित ट्यूबवैलों पर विद्युत कनेक्शन जोड़ने के सम्बन्ध में।

श्री हबीबुर्रहमान, श्री हबीबुर्रहमान। श्री अमराराम, श्री अमराराम। श्री शाले मोहम्मद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पोकरण के बाबा रामदेव मंदिर परिसर स्थित राम सरोवर का विकास

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण और मेरे जैसलमेर जिले के सबसे बड़े पर्यटन स्थल और सबसे बड़े धार्मिल स्थल जहां राजस्थान ही नहीं पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग पहुंचते हैं। मेरा पर्यटन मंत्रीजी और देव स्थान मंत्रीजी, दोनों से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण में यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मैं चाहता हूं कि बाबा रामदेव का जो स्थल है एवं उसके परिसर में जो राम सरोवर है उसका योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं होता तो मैं समझता हूं कि लाखों की संख्या में वहां जो श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र

पोकरण में बाबा रामदेव के मंदिर परिसर में जो राम सरोवर तालाब है उसका योजनाबद्ध तरीके से और अच्छा विकास कराया जाए ताकि वहां जो श्रद्धालु आते हैं वह उसका पूरा लाभ ले सकें।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम, श्री पेमाराम।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय)

श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) सदन की मेज पर रखती हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र सं0 6)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, मुख्य सचेतक।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2009 को मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने पांचवे प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 28 जुलाई, 2009 को सदन में लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 28 जलाई, 2009	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009; 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2009; एवं 3. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009; -- पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009, श्री अशोक गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 पर विचार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: स्लिप नहीं आई, स्लिप नहीं आई। दोनों ओर से कोई स्लिप नहीं मिली है नामों की। मुझे नामों के लिए कोई सूचना नहीं मिली है। श्री अशोक गहलोत।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में खड़े होकर नारेबाजी)

...(व्यवधान)...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भारी मन से सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बजट बनाने की प्रक्रिया कितनी लम्बी और जटिल है, जिसमें आहरण वितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer) से लेकर, उच्चतम स्तर तक के सभी अधिकारियों एवं मंत्रिमण्डल के सदस्यों का सक्रिय योगदान होता है। इस बिन्दु का यहां पर उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बजट पारित कराने में हमारी विधायिका (Legislature) की भूमिका को भी समझा जा सके। मैं इसको सदन की मेज पर रखता हूं।

...(व्यवधान)...

(माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दस्तावेज सदन पटल पर रखे गये)

(वक्तव्य की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन का आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) एवं वित्त विधेयक (Finance Bill) को पारित किया जाये।

...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या (4) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक विचारार्थ लिया गया।

Gpc/usc/28072009/1220/1j

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं। ...(व्यवधान)... कोई संशोधन नहीं है। ...(व्यवधान)... कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं है। कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)... विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

विधेयक का पारण

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति दी जाएगी। ...(व्यवधान)... कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2009

राजस्थान वित्त विधेयक, 2009. श्री अशोक गहलोत।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। ...(व्यवधान)... यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 12 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 12 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 12 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति दी जाएगी। ...(व्यवधान)... यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। ...(व्यवधान)...

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 पारित किया गया।

व्यवस्था

दिनांक 22 जुलाई, 2009 को अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं उनके पारण के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए अपनाई गई प्रक्रिया को नियमान्तर्गत नहीं बताया है और निम्न बिन्दुओं पर आसन से व्यवस्था चाही है:-

1. अनुदान की मांगों पर चर्चा हो गई किंतु इन पर मंत्रीगण का राज्य सरकार की ओर से उत्तर नहीं हुआ।

2. मंत्रीगण द्वारा उनके विभागों के संबंध में घोषणाएं भी नहीं की गई, यह जानकारी सदन में आनी चाहिए थी जिससे यह सदन वंचित रहा है।

3. माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का क्या हुआ? सामान्यतया या तो कटौती प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जाते हैं या क्या मंत्री महोदय के उत्तर के अभाव में उन्हें स्वीकार किया हुआ मान लिया गया? यदि ऐसा हुआ तो कटौती प्रस्तावों की राशि बजट की राशि में जोड़कर पुन: विधान सभा द्वारा पारित की जानी चाहिए।

4. मंत्रीगण के उत्तर के बिना आसन द्वारा मांगें मतदान हेतु रखी गई थीं तत्समय प्रक्रिया नियमों में मत विभाजन के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। प्रतिपक्ष द्वारा बार-बार मत विभाजन की मांग किये जाने पर भी मत विभाजन की मांग को नजरअंदाज किया गया जबकि नियमानुसार डिवीजन करवाया जाना चाहिए था।

5. मंत्री अपने उत्तर के बाद सदन से मांगें पारित किये जाने हेतु अनुरोध करता है वह उनके द्वारा नहीं किया गया। उसके अभाव में मांगें पारित कर दी गईं जो परम्पराओं के विपरीत हैं।

इस संबंध में माननीय विधायक द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 4 के संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कल की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहूंगा। मांग संख्या-28, मांग संख्या-50 व मांग संख्या 30 पर वाद-विवाद पूर्ण होने के पश्चात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री व जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री को अपने-अपने विभागों पर हुई चर्चा का उत्तर देना चाहिए था।

आसन की ओर से नाम पुकारे जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देने हेतु खड़े भी हुए, लेकिन उसी समय भाजपा विधायक दल के उप नेता ने मंत्रियों की ओर से लिखित उत्तर देने पर एतराज करने का प्रश्न उपस्थित किया। आसन की ओर से उनकी बात सुनी गयी और संसदीय मामलात मंत्री के भी इस संबंध में विचार जानने चाहे। ज्यों ही संसदीय मामलात के मंत्री खड़े हुए जैसा कि आपको विदित है प्रतिपक्ष के सदस्यों ने व्यवधान उपस्थित किया जिसके कारण मंत्रीगणों का उत्तर दिया जाना संभव नहीं हो पाया और आसन की ओर से अनुदान की मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत कर दी गईं।

यह कोई पहला अवसर नहीं है, इससे पूर्व में भी कई बार व्यवधान होने की स्थिति में मांगें बिना उत्तर के पारित की गई हैं। इसका ताजा उदाहरण दिनांक 11 अप्रेल, 2005 को मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास बिना मत्री के उत्तर के सदन में तत्समय हुए व्यवधान के कारण पारित कर दी गई थी।

ऐसा इससे पूर्व में भी अनेक अवसरों पर हुआ है। कल सदन में ऐसा ही व्यवधान हो रहा था इसी कारण मांगें पारित करने संबंधी जो कार्यवाही हुई है वह उचित है।

माननीय मंत्रीगणों द्वारा मांगें मतदान हेतु रखने के लिए प्रस्ताव पर ही अनुदान की मांग संख्या 28 मांग संख्या-50 व मांग संख्या 30 पर विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ था। इसलिए यह कहना कि प्रस्ताव नहीं रखा गया, उचित नहीं है।

जहां तक कटौती प्रस्तावों का संबंध है अनुदानों की मांगों पर विचार प्रारम्भ होने से पूर्व ही आसन की ओर से कटौती प्रस्तावों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सदैव की भांति अपनाई जाने वाली व्यवस्था आसन की ओर से दिनांक 16 जुलाई, 2009 को उल्लेख कर दिया गया था। जिस पर सदन की सहमति थी। आप कहें, तो व्यवस्था पढ़कर सुना दूं।

कटौती प्रस्ताव स्वीकार हुए या नहीं इस संबंध में प्रकट की गई माननीय उप नेता भाजपा की शंका उचित नहीं है तथा इस संबंध में कोई परम्पराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है।

जहां तक अनुदान की मांगों के पारण के समय डिवीजन की मांग का प्रश्न उपस्थित करते हुए उप नेता ने कहा ऐसा विधान सभा में कभी नहीं हुआ, मैं इस संबंध में सदन में पूर्व में दिनांक 20 मार्च, 1982 को डिवीजन के ऊपर यही पाइंट ऑफ ऑर्डर उठा था। डिवीजन के ऊपर काफी हल्ला-गुल्ला हुआ। सारी मांगें बिना डिवीजन के पारित कर दी गईं। आप कहें तो तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय आपको पढ़कर सुना दूं।

कल की समस्त कार्यवाही प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों, इस सदन द्वारा समय-समय पर अपनाई गई परम्पराओं के अनुसार विधिसम्मत हुई है। कोई प्रक्रिया, नियमों व परम्पराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैंने प्रस्ताव रखा है। ...(व्यवधान)... आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, घनश्याम जी तिवाड़ी और राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ को सदन से बाहर निकाला जाए। अध्यक्ष जी, 157, 158 की प्रक्रिया के तहत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हमने माननीय सदस्य घनश्याम जी तिवाड़ी, गुलाब चंद जी कटारिया और राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ के खिलाफ दिया है। पूरा सदन चाहता है ...(व्यवधान)... इन्होंने सदन की गरिमा खराब की है, इनको निकाला जाए और सदन की गरिमा रखी जाए। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, 157 और 158 में व्यवस्था चाही है। ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, हमने व्यवस्था चाही है। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, 157 व 158 के तहत व्यवस्था चाही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 157, 158 के तहत व्यवस्था चाही है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक साथ खड़े होकर बाहर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27 जुलाई, 2009 को सदन की कार्यवाही जब पुनः प्रारंभ हुई और माननीय अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे, उसी समय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आ गये और हो-हल्ला करने लगे। श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भड़ाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत ने आसन के समीप जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने से रोका एवं माइक हटाया और आसन से दी जा रही व्यवस्था संबंधी कागजात को छीन लिया और सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने लगे। माननीय अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई तब भारतीय जनता पार्टी के उपरोक्त के अतिरिक्त श्री भवानी सिंह राजावत एवं अन्य कई माननीय सदस्यों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए भारी व्यवधान करना प्रारंभ कर दिया। माननीय

अध्यक्ष के आसन पर झपटने लगे, कागजों को हवा में उछालने लगे और हाथापाई व धक्का-मुक्की करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वे आसन की जानबूझकर अवहेलना करते रहे और सदन की काय्रवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे। उनका यह कृत्य मर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों तथा संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला है।

माननीय सदस्यों का कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत था व इनका उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है। अतः मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित माननीय सदस्यों को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा

श्री हेमसिंह भड़ाना

श्री भवानी सिंह राजावत

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गुण्डागर्दी कर रखी है सदन के अंदर। आपसे व्यवस्था चाहते हैं हम।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पूरा राजस्थान देख रहा है। इन लोगों ने 70 गुर्जरों को मारा है। आज वे लोग माहौल खराब करना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

मोहन/चौहान/28072009/1230/1k

सदस्य का निलम्बन

ज्ञानदेव आहूजा, हेमसिंह भड़ाना, भवानी सिंह राजावत सर्वश्री का निलम्बन

श्री अध्यक्षः श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27 जुलाई, 2009 को सदन की कार्यवाही जब पुनः प्रारंभ हुई और माननीय अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे, उसी समय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आ गये और हो-हल्ला करने लगे। श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भड़ाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत ने आसन के समीप जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने से रोका एवं माइक हटाया और आसन से दी जा रही व्यवस्था संबंधी कागजात को छीन लिया और सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करने लगे। माननीय अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई तब भारतीय जनता पार्टी के उपरोक्त के अतिरिक्त श्री भवानी सिंह राजावत एवं अन्य कई माननीय सदस्यों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए भारी व्यवधान करना प्रारंभ कर दिया। माननीय अध्यक्ष के आसन पर झपटने लगे, कागजों को हवा में उछालने लगे और हाथापाई व

धक्का-मुक्की करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वे आसन की जानबूझकर अवहेलना करते रहे और सदन की काय्रवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे। उनका यह कृत्य मर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों तथा संसदी प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला है।

माननीय सदस्यों का कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत था व इनका उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है। अतः मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित माननीय सदस्यों को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा

श्री हेमसिंह भड़ाना

श्री भवानी सिंह राजावत

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेमसिंह भड़ाना, श्री भवानीसिंह राजावत, सदस्य की सदन की सदस्यता एक वर्ष के लिए निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

सर्वश्री ज्ञानदेव आहूजा, हेमसिंह भड़ाना और भवानीसिंह राजावत को सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का सदन द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

(सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर 12.33 बजे सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

vkj/usc/28072009/1340/2a

(13.33 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति जी, हमारा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया हुआ है, आप उस पर कोई कार्यवाही करते..... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह आसन को दिशा-निर्देश देने वाले आप होते कौन हो? (व्यवधान) यह असंसदीय है। यह आसन को अंगुली दिखाना संसदीय परम्पराओं में नहीं आता। आप आसन की अवमानना कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरा राजस्थान देख रहा है....

(व्यवधान) प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आसन के साथ असम्मान किया है। (व्यवधान) आसन को व्यवस्था देकर अपनी गरिमा बनाये रखनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह बिल्कुल नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यदि प्रतिपक्ष आसन की गरिमा बनाये रखना चाहते हैं और सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं, गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार सहमति व्यक्त कर चुकी, इसके बावजूद यहां पर नाटकबाजी हो रही है। माहौल गरमाया जा रहा है, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) कोई नहीं सुनना चाहता आपको श्रीमान्। आप बीच-बीच में बोलना चाहते हैं, आपको कौन सुन रहा है यहां पर? कोई नहीं सुनना चाहता आपको। (व्यवधान) बात-बात में बीच-बीच में हर बार आप बोलते हो, कौन सुनना चाहता है आपको सदन के अन्दर। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): नियम 157, 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे रखा है। सभापति महोदय, उस पर व्यवस्था करते, आप व्यवस्था दें और बतायें कि सदन का माहौल किसने खराब किया है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो आप। (व्यवधान) मजाक बना रखा है बिल्कुल। (व्यवधान) यह सदन आपका घर नहीं है। जब चाहे खड़े हो जाओ। जब चाहो जब बोलने लग जाओ। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): चार दिन तक सदन नहीं रहने दिया, धारीवाल जी को लेकर जिस तरह का माहौल बना रखा है, बार-बार उनको बोलने नहीं देते, सदन को चलने नहीं देते। (व्यवधान) हमेशा वैल में खड़े होते हो। (व्यवधान) यदि ये सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी-अपनी कुर्सियों पर जाकर के बैठें लेकिन ये सदन को चलाना नहीं चाहते। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बोलना नहीं चाहते हैं और बोलने भी देना नहीं चाहते। (व्यवधान) अगर वो बोलना ही चाहते हैं तो अपनी-अपनी कुर्सियों पर जाकर के बैठें। वैल में हो, बोल क्या रहे हो।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये। (व्यवधान) सभापति महोदय, निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये। (व्यवधान) सभापति जी, निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: शांतिपूर्वक चलने दें।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, निलम्बित विधायकों को बाहर निकालिये।

श्री सभापतिः तीनों माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेव जी आहूजा, श्री भवानी सिंह जी राजावत, श्री हेमसिंह जी भडाना जिनका निलम्बनकाल एक वर्ष के लिए हुआ है, वे सदन छोड़कर के चले जाएं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ,सदस्य, विधान सभा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2009 पर परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

श्री बाबूलाल नागर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री सभापतिः यदि कोई सदस्य बोलना चाहें, यदि कोई सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें, कोई भी सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें, कोई भी सदस्य।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2 से 5 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

अनुसूची - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

श्री बाबूलाल नागर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

विधेयक का पारण

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: यदि कोई सदस्य बोलना चाहें, कोई भी सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर(नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर(नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 को पारित किया गया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

बिराजिये बिराजिये। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह क्या तरीका हो गया? ऐसे आदेश देना चाहते हो आसन को आप? यह तरीका नहीं चलेगा। (व्यवधान) जन गण मन शुरू करो ना। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा।
जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे। जय जय जय जय हे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.42 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

*****

परिशिष्ट

(विनियोग विधेयक के उत्तर में मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भारी मन से सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बजट बनाने की प्रक्रिया कितनी लम्बी और जटिल है, जिसमें आहरण वितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer) से लेकर, उच्चतम स्तर तक के सभी अधिकारियों एवं मंत्रिमण्डल के सदस्यों का सक्रिय योगदान होता है। इस बिन्दु का यहां पर उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बजट पारित कराने में हमारी विधायिका (Legislature) की भूमिका को भी समझा जा सके।

गत दिनों सदन में जो गतिरोध की स्थिति बनी, उससे, हम विधायिका (Legislature) के रूप में, हमारे नैतिक उत्तरदायित्व को सम्भवतः सही तरीके से नहीं निभा सके। यह माना जाता है कि कार्यपालिका (Executive) के रूप में मंत्रिमण्डल के सदस्य केवल शासन के पक्ष को सदैव न्यायोचित ठहराने की चेष्टा में लगे रहते हैं, जो कि सही नहीं है। मैं इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था (Democratic System) के आधार पर यह कह सकता हूं कि सदन में स्वस्थ ढंग से यदि कोई भी मुद्दा किसी के द्वारा भी उठाया जाता है, तो शासन के लिए यह एक अच्छा अवसर होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी नीतियों की क्रियान्विति में अपेक्षित सुधार ला सकता है और यदि किसी भी प्रकार की कमी रह गई है तो उसे पूरा किया जा सके। हमने शायद इस अवसर को गंवा दिया है।

ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष के माननीय सदस्य ही मुद्दे उठा सकते हैं, बल्कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपने क्षेत्रों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी इस बात का अवसर नहीं मिल सका कि वे सदन में चर्चा के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कर सकें ताकि हम हमारी भविष्य की नीतियों एवं कार्य-योजनाओं में इन बिन्दुओं को शामिल कर सकें।

मैं, लगभग पाँच वर्ष पूर्व के उस समय को याद कर रहा था, जब पूर्ववर्ती सरकार ने शासन सम्भाला ही था और लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में लेखानुदान (Vote-on-account) लेने के पश्चात् परिवर्तित बजट (Modified Budget) प्रस्तुत किया गया था। माननीय सदस्य उस समय की सदन की कार्यवाही का विवरण चाहे तो देख लें। हम तब विपक्ष में थे और हमारे द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था जिससे तत्कालीन सरकार किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस करती। इसके विपरीत आज जब हम शासन में हैं, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे विपक्षी दलों के साथी, एक स्वस्थ समालोचना के स्थान पर, ऐसा रुख अपनाये हुए हैं कि सदन में किसी भी गम्भीर विषय पर चर्चा ही नहीं हो सकती है।

सामान्य रूप से सदन में चर्चा के माध्यम से सरकार को बजट प्रस्तावों का फीड-बैक मिलता है किन्तु इस बार हमें अधिकांश फीड-बैक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से ही मिल सका है। बजट में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा, कृषि व आधारभूत संरचनाओं (Infrastructure) तथा महिला विकास हेतु अनेक नये initiatives प्रस्तुत किये हैं ताकि राज्य के सर्वांगीण एवं inclusive विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। हमने रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने तथा अशक्त वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत इस बजट को सभी वर्गों द्वारा सराहा गया है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि good governance के माध्यम से सरकारी सेवाओं का पूरा लाभ target group तक पहुंच सके। यह तभी सम्भव होगा जबकि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति की नियमित समीक्षा की जाये। इसके अतिरिक्त व्यवस्थाओं में एक आमूलचूल परिवर्तन एवं इनका सरलीकरण भी आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में बजट में यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक विभाग अपने आयोजना बजट की 3 प्रतिशत राशि 'सूचना प्रौद्योगिकी' (Information Technology) के क्षेत्र में उपयोग कर सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) का उपयोग करते हुए service delivery में सुधार लाना आवश्यक है ताकि आम आदमी और गांव के गरीब तक सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचायी जा सकें। Systems improvement के माध्यम से कर संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, साथ ही फिजूल के खर्चों पर नियंत्रण करना भी उतना ही आवश्यक होगा।

प्राय: यह देखा जाता है कि बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन में कई बार विलम्ब हो जाता है। अत: हमने यह निश्चय किया है कि आगामी एक महीने के अन्दर ही आवश्यक स्वीकृतियां जारी हो जाएं तथा एक समयबद्ध रूप से उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी।

बजट में कई नई नीतियों एवं समितियों के गठन का उल्लेख किया गया है। कतिपय वर्गों में इनके संबंध में आशंका व्यक्त की गई है कि ये केवल कागजी घोषणाएं बन कर न रह जाएं। मैंने अपने बजट में, इन नीतियों की घोषणा, गम्भीर सोच और चिन्तन के पश्चात् की है। हम सभी विभागों को ये निर्देश दे रहे हैं कि वे नई नीतियां बनाते समय हमारे राज्य की ground realities एवं सीमाओं का ध्यान रखते हुए ऐसी नीतियां बनाएं जो व्यावहारिक हों और उनके क्रियान्वयन से निश्चित समय में ठोस परिणाम प्राप्त हो सकें।

सितम्बर, 2008 से उत्पन्न हुए global downturn का प्रभाव समूचे देश पर पडा तथा हमारा प्रदेश भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। वर्ष 2008-09 की हमारी

राजस्व आय (Revenue Receipts) इस मंदी से प्रभावित हुई। वर्ष 2008-09 में केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से (Share in Central Taxes) में बजट अनुमानों (Budget Estimates) की तुलना में 880 करोड़ रुपये की कमी आयी। राज्य के स्वयं के कर राजस्व (State's Own Tax Revenue) में, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (Stamps & Registration Tax) पर इसका सबसे अधिक विपरीत प्रभाव पडा। वर्ष 2008-09 में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (Stamps & Registration Tax) की वृद्धि दर केवल 2 प्रतिशत रह गई जबकि बजट अनुमानों (Budget Estimates) में वृद्धि दर 11 प्रतिशत से अधिक रखी गई थी।

वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों (Budget Estimates) में भी आर्थिक मंदी का प्रभाव यथावत है। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से (State's Share in Central Taxes) की वृद्धि दर 6.90 प्रतिशत एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व (State's Own Tax Revenue) की वृद्धि दर 10.62 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2007-08 में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से (State's Share in Central Taxes) की वृद्धि दर 26.14 प्रतिशत एवं राज्य के स्वयं कर राजस्व (State's Own Tax Revenue) की वृद्धि दर 14.36 प्रतिशत थी।

राजस्व आय (Revenue Receipts) की वृद्धि दर में कमी आने एवं राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) में बढ़ोतरी होने के बावजूद हमने चालू वर्ष की योजना के आकार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बजट में चालू वर्ष की योजना का आकार 18635 करोड़ रुपये रखा गया है जो पिछले वर्ष की अनुमोदित योजना से 33 प्रतिशत अधिक है।

बढ़ी हुई योजना में वित्त पोषण (Financing) की व्यवस्था की जाकर तदनुसार बजट में इसके लिए समुचित प्रावधान कर लिया गया है। परिवर्तित बजट (Modified Budget) में 39.20 करोड़ रुपये का Budgetary surplus है, जिससे स्पष्ट है कि योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित है।

बजट में हमने, राज्य की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए, एक दीर्घकालीन सोच के साथ योजनाएं प्रस्तुत की हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रमुख समस्या मांग एवं उपलब्धता के बीच का अन्तर है, जिसकी वजह से हमें विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के लिए महंगी दरों पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है। हमने नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है ताकि राज्य विद्युत उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके।

हमारे प्रदेश में पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। सिंचाई हेतु उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग की दृष्टि से जल संरक्षण (Water Conservation) के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु अधिक से अधिक संसाधनों की व्यवस्था करते हुए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

राज्य में चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने की दृष्टि से ग्रामीण एवं शहरी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा विभाग के तकनीकी पदों को भरा जा रहा है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा रहा है। गंभीर रोगियों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 108 सेवा का विस्तार भी किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि गंभीर बीमारियों की चिकित्सा सुविधा सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य जिला अस्पतालों में सुलभ हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि गरीब तबके के लोगों को भी specialized treatment सुलभ हो सके।

राज्य के विशाल क्षेत्रफल एवं छितरी हुई आबादी को देखते हुए सड़कों के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें 250 तक की आबादी के सभी गांवों को नरेगा के अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों से जोड़ने की योजना प्रमुख है। ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण हेतु भी योजना तैयार कर World Bank से इसकी funding कराने का प्रयास किया जा रहा है। सड़कों के रखरखाव एवं नवीनीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट में 1200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय हो सकें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों को भी भरा जायेगा ताकि विद्यालयों के संचालन में कोई परेशानी नहीं हो।

शहरों एवं कस्बों के योजनाबद्ध विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। छोटे एवं मध्यम शहरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में 109 शहरों के मास्टर प्लान बनाये जायेंगे। शहरीकरण की एक सबसे बड़ी समस्या कच्ची बस्तियां हैं जिनमें basic civic amenities भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। हमारा प्रयास कम कीमत के अधिक आवास उपलब्ध कराना है ताकि भविष्य में नई कच्ची बस्तियां नहीं पनपें। इसके साथ ही वर्तमान कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिये सरकार कटिबद्ध है।

अल्पसंख्यकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण के लिये अलग से विभाग गठित करने का निर्णय लिया गया है।

मेरा यह मानना है कि महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के आधार पर यदि ध्यान दिया जाये तो राज्य के human development index में सुधार लाया जा सकता है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिये बजट में 7 सूत्री कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से की जायेगी ताकि सभी संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित किया जा सके।

सदन में बजट प्रस्तुत करने के बाद हुई चर्चा एवं विभिन्न वर्गों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात कतिपय घोषणाएं की जा रही हैं:-

कर संबंधी घोषणाएं

- राज्य में गुड़ पर 4 प्रतिशत कर की वजह से ग्रामीण जनता को इसकी मिठास में आ रही कमी को दूर करने के लिये मैं गुड़ को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।
- राज्य में गमछा कर मुक्त है लेकिन टॉवल पर 4 प्रतिशत कर लग रहा है। राज्य की आम जनता के दैनिक उपयोगिता की वस्तु टॉवल जिनका मूल्य 200 रुपये प्रति नग है, को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- जूतों के ऐसे जोड़े जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 200 रुपये से कम है, अभी राज्य में कर मुक्त है, मैं इस सीमा को बढ़ाकर 300 रुपये करना प्रस्तावित करता हूं।
- राज्य में Tools की कर दर 4 प्रतिशत है। Power Tools तथा Tools के Parts की कर दर 14 प्रतिशत है। इस विसंगति को दूर करने के लिये Power Tools तथा Tools के Parts की कर दर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- बबूल, आम और शीशम की लकड़ी का उपयोग हस्तशिल्पियों द्वारा मुख्यतः Handicrafts बनाने में किया जाता है। अतः बबूल, आम और शीशम की लकड़ी के Handicrafts बनाने में उपयोग होने पर, इन लक़डियों पर देय कर को 14 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- Rice Bran राज्य में 4 प्रतिशत से कर योग्य है। यह मुख्यतः पशु आहार होने से इसे कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य में महिलाओं तथा हुनरमन्द कारीगरों द्वारा सा़डियों पर बन्धेज के साथ विभिन्न प्रकार के सजावटी कार्य जैसे एम्ब्रोयडरी, गोटा, सलमा, चूमकी, सितारा आदि घरेलू उद्योग के रूप में किया जाता है। ऐसे सजावटी कार्य हेतु आयातित तथा सिल्क की सा़डियों का उपयोग भी बहुतायत में होने लगा है। अतः मैं राज्य में सभी प्रकार की सा़डियों तथा विभिन्न प्रकार के सजावटी कार्य की हुई सा़डियों को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।
- सेन्डस्टोन एवं अन्य सभी प्रकार के ईमारती पत्थर पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत वैट लागू करने की घोषणा मैंने मेरे बजट अभिभाषण में की थी। गत सरकार द्वारा मार्बल एवं ग्रेनाइट पर कर दर 4 प्रतिशत निर्धारित की, परन्तु घड़ाई के काम आने वाले मार्बल को राहत नहीं दी गई। राज्य में मार्बल को काट कर डोम, जाली, झरोखा, खम्भे, प्रतिमा, बीम आदि बनाने की परम्परा एवं हुनर सदियों से है तथा ऐसे काम में भारी संख्या में कारीगरों को रोजगार मिलता है। चूंकि सभी ईमारती पत्थर पर 4 प्रतिशत कर दर से संबंधित उद्योगों को बहुप्रतीक्षित राहत मिली है। अतः केवल घड़वा पत्थर को इससे वंचित करना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में समस्त भ्रान्तियों को

विराम देने के लिये मैं यह घोषणा करता हूं कि घड़ाव मार्बल पर भी कर दर 4 प्रतिशत रहेगा।

- भुजिया सहित सभी प्रकार के नमकीनों पर देय कर दर को लेकर भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है। इनको समाप्त करने के लिये समस्त branded अथवा un-branded नमकीन की कर दर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

- आलू की कच्ची पपड़ी घर-घर में महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है तथा ऐसे उद्यमियों के द्वारा पपड़ी को खुले अथवा साधारण पेकिंग में बेचा जाता है। महिलाओं तथा लघु उद्यमियों के हित में आलू की कच्ची पपड़ी (unfried potato chips) को कर मुक्त करना प्रस्तावित करता हूं।

- मैंने बजट अभिभाषण में पुरानी कारों पर इंजन क्षमता के अनुरूप करारोपण करने का प्रावधान किया था। मंदी से प्रभावित बाजार में पुरानी कार के अतिरिक्त पुराने भारी वाहनों की बिक्री भी होने लगी है। अत: समस्त प्रकार के used वाहनों की बिक्री पर 1000 सी.सी. तक एक मुश्त कर राशि 2000 रुपये एवं उससे अधिक क्षमता के हल्के वाहनों पर 5000 रुपये निर्धारित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पुराने भारी वाहनों की बिक्री पर एक मुश्त 8000 रुपये की कर राशि देय होगी।

- व्यापारी वर्ग हेतु गत वित्तीय वर्ष में लागू की गई वाणिज्यक कर विभाग की Amnesty Scheme से, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे cases में कमी हुई है तथा राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। यह Scheme 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो जाने से व्यापारी वर्ग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाये। अत: Amnesty Scheme की अवधि 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

SEZ के लिए प्रोत्साहन

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए SEZ की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। भारत सरकार के SEZ Act 2003 के मध्य कुछ विरोधाभास के कारण राज्य में नया SEZ Act लाया जाएगा। नये Act में SEZ की स्थापना हेतु भूमि रूपान्तरण पर मात्र 100/- रुपया शुल्क लगेगा तथा Developer एवं Co-developer को समान दर्जा दिया जाएगा। SEZ में स्थापित उद्योगों को 7 साल के स्थान पर 10 साल के लिए विद्युत शुल्क छूट दी जाएगी। SEZ परिसर में स्थापित होटलों एवं मनोरंजक ईकाइयों को विलासिता (100 प्रतिशत) एवं मनोरंजन कर (50 प्रतिशत) से 7 साल तक छूट मिलेगी। SEZ के लिए खरीदी गई भूमि तथा बाद में उनकी लीज पर अन्तरण, मुद्रांक शुल्क से मुक्त होगा। ऐसे उद्योग जो किराये के भवन में स्थापित होंगे उनके किरायानामा भी मुद्राक शुल्क से मुक्त होगा।

मुआवजे में आवंटित विकसित भूमि पर लीज राशि की गणना

वर्तमान में अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में आवंटित विकसित भूमि पर लीज राशि की गणना आरक्षित दर के आधार पर की जाती है। यह राशि काफी अधिक होती

है। काश्तकारों द्वारा इसे कम करने की मांग की जाती रही है। काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे प्रकरणों में, आवंटित विकसित भूमि पर लीज राशि की गणना नियमन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर मानकर की जाएगी। इससे काश्तकारों को लीज राशि भुगतान में औसतन 75 प्रतिशत की राहत प्राप्त हो सकेगी। यह छूट लीज रेंट एक मुश्त 8 वर्ष के लिए जमा करवाये जाने पर देय होगी।

अन्य घोषणाएं

जैसलमेर में नया यू आई टी

राज्य की सीमा पर विश्वविख्यात शहर जैसलमेर के सुनियोजित विकास के लिये यू आई टी के गठन की घोषणा करता हूं।

नरेगा कार्यों का Performance Audit

देश के करोड़ों गरीब एवं जरूरतमंद जनता के लिये नरेगा एक अभूतपूर्व सफलता के साथ वरदान साबित हुई है। साथ ही, नरेगा के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी हजारों कार्यों को भ्रष्टाचार मुक्त रखना एक गम्भीर प्रशासनिक चुनौती बन चुकी है। गत सरकार द्वारा नरेगा कार्यों का क्रियान्वयन में पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित नहीं की, जिससे भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। गांव-गांव में बिचौलिये सक्रिय हो गये तथा पंचायतीराज संस्थाओं के लिये स्वच्छ छवि को बनाये रखना कठिन हो गया।

हम सभी के लिये नरेगा जैसे कार्यक्रम में अनियमिताएं गम्भीर चिन्ता का विषय है1 इतने भारी संसाधनों का सदुपयोग के लिये फूलप्रूफ सिस्टम बनाने की जरूरत है। अत: मैं घोषणा करता हूं कि राज्य में नरेगा कार्यों पर सशक्त निगरानी रखने के लिए आंध्रप्रदेश के पेटर्न पर Performance Audit (निष्पादन अंकेक्षण) का पूर्ण एवं विस्तृत प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राम स्तर से लेकर राज्य के सर्वोच्च स्तर तक अत्याधुनिक आई टी तकनीक के साथ एक मजबूत तन्त्र विकसित किया जाएगा जिस पर वार्षिक लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च आएगा। Performance Audit को सशक्त बनाया जाएगा।

नये न्यायालयों की स्थापना

जिन स्थानों पर 5000 से अधिक प्रकरण Negotiable Instruments Act के तहत pending हैं, वहां पर 14 नये न्यायालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत जयपुर शहर में 5, जोधपुर एवं उदयपुर में 2-2 तथा कोटा, अजमेर, गंगानगर, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में प्रत्येक में 1 न्यायालय खोला जाना प्रस्तावित है।

भूतपूर्व विधायकों के लिए घोषणाएं:-

(अ) वर्तमान 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन में वृद्धि कर पेंशन प्रति माह 5000 रुपए की जाएगी। अन्य प्रावधान पूर्ववत् होंगे।

(ब) भूतपूर्व विधायक के देहान्त के पश्चात् उनकी पत्नी/पति को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी, जो भूतपूर्व विधायक को देय पेंशन राशि की 50 प्रतिशत होगी।

(स) भूतपूर्व विधायकों को टोल टैक्स के भुगतान से छूट होगी। इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आदेश प्रसारित किये जाएंगे।

वर्तमान विधायकों के लिए घोषणाएं:-

(अ) विधायकों का वेतन 5000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह होगा।

(ब) सभी विधायकों को अधिकतम 50000 रुपए तक की कीमत का लेपटोप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा, जैसाकि गत विधान सभा के दौरान किया गया था।

(स) विधान सभा सत्र एवं विधान सभा की समितियों की बैठक में उपस्थिति हेतु विधायकों का भत्ता 400 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा।

(द) जिन विधायकों द्वारा जिला पूल के वाहन की सुविधा का उपभोग नहीं किया उनको किराये का वाहन लेने पर अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह वाहन भत्ते का पुनर्भरण प्रस्तुत बिलों के आधार पर किया जाएगा।

हमारे इस बजट के माध्यम से राज्य के दीर्घकालीन विकास का मार्ग और प्रशस्त होगा। मैं यह भी आशा करूंगा कि राज्य में सभी समुदाय एवं वर्गों के मध्य भाईचारा बना रहेगा तथा ऐतिहासिक रूप से हमारे राज्य की जो गरिमा रही है उसे किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी।

मैं आशा करता हूं कि आम आदमी, गरीब एवं गांवों को समर्पित हमारा यह बजट, आप सभी के सक्रिय सहयोग से, प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।